

पत्रावली पेश हुई । वकील काड़ी अनु.
पुस्तक में काड़ी एवं उनके अधिवक्ता
को विधिकर कई महीना अवकाश लगाई
किंतु कोई उप. नहीं होने से काड़ी
का वाद अदम हाजरी अदम पेशी
में खारिज किया जाता है !

पत्रावली केवल शुमार होकर वर्ज
नम्बर से कम है

अध्यक्ष अधिकारी पदम
सहायक कलेक्टर करम

